# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
## नोहर, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

**मि0न0 — 779/2022**

**अनवान : —**

1. रामपाल सिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. पदमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

**वादीगण**

**बनाम्**

1. आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर। ।
2. जसवन्त सिंह पुत्र आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. वासुदेव पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. प्रतापसिंह पुत्र आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. दयावन्ती पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. संतरा देवी पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. विनोद कंवर पुत्री प्रेमकंवर पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. कल्याण सिंह पुत्र प्रेमकंवर पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. राजवीर सिंह पुत्र प्रेमकंवर पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
10. ममता पुत्री जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
11. सुनिता देवी पुत्री जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
12. चन्द्रकला पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
13. सन्जु पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
14. रूकमाकंवर पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**— प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955**

उपस्थिति :— श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः 15/12/23

[illegible] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 29/24 के ख0न0 153/1 की 8.10 [illegible] भूमि प्रतिवादी स0 1 आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि का पूर्व में वादीगण के पड़दादा भैरूसिंह खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई । अब उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 आदूसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड के दर्ज है जो कि वादीगण के दादा है। वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 14 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादी स0 5 ता 14 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण स0 3 ता 4 की बहिने एवं भान्जा व भानजी व बुआ है। प्रतिवादी स0 5 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की आदुसिंह जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण व प्रतिवादी स0 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 15 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हिकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 29/24 के ख0न0 153/1 की 8.5610 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि वादीगण के दादा के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक सम्पत्ति भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 5 ता 14 जो की वादीगण व प्रतिवादीगण स0 3 ता 4 की बहिने एवं भान्जा व भानजी व बुआ है। प्रतिवादी स0 5 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं0 29/24 के खसरा न0 153/1 की 8.5610 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 आदुसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 आदुसिंह के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 5 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश कर अर्ज किया है यदि वाद वादीगण मुताबिक इस्तदुओं डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 14 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

**क्रियात्मक आदेश**

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 29/24 के खसरा न0 153/1 की 8.5610 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 आदुसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1, प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 बहिब 1/2 हिस्सा, व वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमीील जाब्ता दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 779/2022

अनवान : —

1. रामपाल सिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. पदमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम्

1. आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर। ।
2. जसवन्त सिंह पुत्र आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. वासुदेव पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. प्रतापसिंह पुत्र आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. दयावन्ती पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. संतरा देवी पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. विनोद कंवर पुत्री प्रेमकंवर पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. कल्याण सिंह पुत्र प्रेमकंवर पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. राजवीर सिंह पुत्र प्रेमकंवर पुत्री आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
10. ममता पुत्री जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
11. सुनिता देवी पुत्री जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
12. चन्द्रकला पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
13. सन्जु पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
14. रूकमाकंवर पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुड़िया व परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण [illegible] किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के [illegible] 29/24 के खसरा न0 153/1 की 8.5610 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 [illegible] रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह का नाम कलमजन किया जा[illegible] वादी स0 1, प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 बहिब 1/2 हिस्सा, व वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested